Prof. Shashi Sharma, Principal
Professor, Department of Political Science
e-mail: prof.shashisharma@gmail.com

Political Sociology, PAPER VII

Course Content-11: 'Voting Behaviour in India-Nature and Determinants'

भारत में चुनावी राजनीति के बदलते आयाम औरमतदान व्यवहार

(Changing Dimensions of Electoral Politics in India and Voting Behaviour)

परिचय (Introduction)

मैकेंजी के शब्दों में " 'चुनाव किसी संगठन के नियमों द्वारा स्वीकृत कार्यविधि का वह स्वरूप या प्रकार है जिसके माध्यम से सभी या कुछ सदस्य मिलकर संगठन में व्यक्ति या व्यक्तियों को सत्ता के पदधारण हेतु चयन करते हैं।'' इस दृष्टि से किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव सत्ता के निर्धारित पदों को प्राप्त करने की खुली या बन्द प्रतियोगिता हैऔर जिस विधि से जनसाधारण अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए अपनी सार्वभौम शक्ति का प्रयोग–प्रदर्शन करता है उस माध्यम को मतदान व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। चुनावी राजनीति और मतदान प्रक्रिया दोनों अन्योन्याश्रयी राजनीतिक प्रक्रिया है जो लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता के औचित्यपूर्ण स्वरूप का निर्माण करती है और सत्तारूढ़ राजनीतिक अभिजन को औचित्यपूर्ण शक्ति के प्रयोग का अधिकारी बनाती है।

चुनाव : अर्थ, उद्देश्य एवं महत्त्व Election : Meaning, Objective and Importance)

किसी भी लोकतांत्रिक एवं आधुनिक सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में आम चुनाव ;ळमदमतंस म्समबजपवदद्ध वहां के नागरिकों की राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता का द्योतक है। चुनावी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अस्तित्व–निर्माण एवं शासन–संचालन की आधारशिला कहा जाता है। जनतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनाव एक ऐसी सशक्त प्रक्रिया एवं साधन है जिसमें भागीदारी करके जनसाधारण अपनी इच्छानुरूप पसंदीदा प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और राजनीतिक सत्ता की जनउत्तरदायी प्रकृति–प्रवृत्ति तथा जनसंप्रभुता की अवधारणा की वजह से एक सीमा तक अपने प्रतिनिधियों पर नियंत्रण भी रखते हैं।सभी जनतांत्रिक उदारवादी व्यवस्थाओं एवं साम्यवादी व्यवस्थाओं में राजनीतिक सत्ता से संबद्ध किसी भी वैधानिक पद को प्राप्त करने का माध्यम चुनाव ही है। राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति के अनुरूप चुनाव प्रक्रिया की तथ्यगत वास्तविकताओं में अन्तर आ जाता है। मसलन–उदारवादी व्यवस्थाओं में द्विदलीय या बहुदलीय पद्धति मौजूद होने की वजह से मतदाताओं के सामने राजनीतिक दल के उम्मीदवारों के रूप में विकल्प सामने होता है और वे दो या दो से अधिक प्रत्याशियों के बीच से अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुन सकते हैं, जबकि साम्यवादी व्यवस्थाएं एकदलीय पद्धति का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए वहां चुनाव में जनता के सामने दलीय प्रत्याशी के रूप में कोई विकल्प मौजूद नहीं होता है। इस वजह से जनता दलीय वैचारिकी आधारित भिन्नता के आधार पर अपने पसंदीदा प्रतिनिधियों को नहीं चुन सकती है। उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की भांति सर्वाधिकारवादी साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्थाएं भी चुनाव प्रक्रिया का संचालन करती हैं,

भले ही व्यवहार में वे केवल औपचारिकता मात्र हों। उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनाव प्रक्रिया ही वह माध्यम है जिसकी वजह से राज्य की सार्वभौमसत्ता जनता के हाथों में निहित होती है। लोकतंत्र के संबंध में प्रतिपादित **अरस्तू, सीले, लार्ड ब्राइस, डायसी, लेविस, हॉल, स्ट्रॉस, अब्राहम लिंकन, हर्नशॉ, मैक्सी, लास्की एवं डॉ. आशीर्वादम** आदि की परिभाषाए चुनावी प्रक्रिया की वजह से ही व्यावहारिक स्तर पर वास्तविक स्वरूप प्राप्त करती हैं।

राजनीतिक व्यवस्था से प्रासंगिक चुनाव का संबंध सिर्फ प्रतिनिधियों के चयन तक सीमित नहीं है, अपितु चुनाव सक्रिय राजनीतिक सहभागिता में भागीदारी का एवं इस राजनीतिक प्रक्रिया के मद्दनजर कई राजनीतिक गतिविधियों के संचालन का महत्त्वपूर्ण माध्यम है। राजनीतिक जागरूकता पैदा कराने में तथा सक्रिय राजनीति की मुख्य धारा में आमजनों को शामिल करने में इस राजनीतिक क्रिया का महती योगदान होता है। चुनाव के माध्यम से जनसाधारण अपने राज्य ए सरकार एवं सरकारी नीतियों–निर्णयों से सीधे रूप से जुड़ते हैं और उन्हें सरकार के राजनीतिक दायित्व का भी बोध होता है। यही वजह है कि सर्वाधिकारवादी सत्ता का भी यह प्रयास होता है कि चुनाव प्रक्रिया में व्यवस्था के अधिकाधिक सदस्यगण भागीदारी करें। चुनाव किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में शासक, अभिजन एवं शासित वर्ग के मध्य सूचनाओं–सम्पर्कों के आदान–प्रदान का सीधा माध्यम है। यह राजनीतिक व्यवस्था एवं राजनीतिक सत्ता को औचित्यपूर्णता प्रदान करने का एकमात्र वैध माध्यम है। इस रूप में चुनाव राजनीतिक अभिजनों के शासनाधिकार के वधीकरण का आधार साधन है।

शिल्स ने हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर खींचने का प्रयास किया है कि चुनाव के माध्यम से व्यक्ति अपने महत्त्व तथा अपनी मनोवृत्ति को सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रतीकों के साथ जोड़ने में सफल होता है। चुनाव की वजह से शासक अभिजनों का ध्यान मतदाताओं की मांगों, आवश्यकताओं और सरकारी स्तर से उसकी पूर्ति किये जाने वाले प्रतिशत की मात्रा की ओर आकृष्ट होता है। इस संबंध में **डाउसे एवं ह्यूज** का कहना है कि चुनाव को शासित वर्ग द्वारा शासकों के कार्यों को प्रभावित करने के अनेक प्रकारों में से एक प्रकार के रूप में देखा जा सकता है। इस अर्थ में चुनाव का मूल मकसद शासकों को यह अनुभव कराते रहना है कि उन्हें राजनीतिक पदों पर आसीन कराने का अधिकार जनता के हाथों में है तथा नियतकालिक चुनाव प्रक्रिया के आधार पर उन्हें पराजित अभिजनों ;क्मिंजमक म्सपजमद्ध की कोटि में शुमार कराना भी शासितों का अधिकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनाव परिणाम का आधार–माध्यम राजनीतिक विश्वास है जिसके बल पर राजनीतिक दलों के प्रत्याशी, एवं निर्दलीय प्रत्याशी जनसमर्थन प्राप्त कर संवैधानिक पदों पर एक निर्धारित कालावधि के लिए चुने जाते हैं और वही राजनीतिक विश्वास खो देने पर वे पराजय का भी सामना करते हैं।

चुनाव का उद्देश्य(Objective of Election)

lभी व्यवस्थाओं में कुछ तयशुदा उद्देश्यों के तहत चुनाव प्रक्रिया संचालित की जाती है, जिनमें प्रमुख हैं : (1) राजनीतिक पदों को धारण करने के लिए प्रतिनिधियों का चयन करना, (2) राजनीतिक दलों एवं जनसाधारण के मध्य सीधा संबंध स्थापित करना, (3) राजनीतिक व्यवस्था एवं सत्ता को वैधता प्रदान करना, (4) सरकार को प्राप्त होने वाले जनसमर्थन–जनविश्वास का नवीनीकरण करना एवं व्यवस्था को नवजीवन प्रदान करना, (5) मौजूदा शासक अभिजनों की नीतियों–निर्णयों, कार्यक्रमों तथा उद्देश्यों को जनता द्वारा अनुमोदित एवं नवीकृत कराना, (6) व्यवस्था के सदस्यों को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, (7) व्यवस्था की सक्रिय राजनीति के साथ जनता का प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कराना, (8) जनसमस्याओं, सामाजिक मुद्दों एवं प्रासंगिक सवालों को विशिष्टता के आधार पर हाइलाइट ;भ्पहीसपहीजद्ध करना इत्यादि।

चुनाव का महत्त्व(Importance of Election)

चुनाव के महत्त्व के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि यह शासक अभिजनों के चयन एवं उसकी कार्यशैली पर नियंत्रण रखने का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधन है। राजनीतिक विद्वज्जनों द्वारा किये गये सर्वेक्षण–शोध कार्यों एवं आनुभविक अध्ययन–विश्लेषण द्वारा यह ज्ञात होता है कि राजनीतिक नेतृत्व के व्यवहार–प्रदर्शन एवं गतिविधियों को नियमित करने तथा जनप्रतिनिधियों को व्यक्ति सापेक्ष एवं समाज सापेक्ष बनाये रखने में चुनाव की भूमिका सर्वाधिक प्रासंगिक है। चुनाव जनप्रतिनिधियों तथा शासक अभिजनों को जनउत्तरदायी एवं समाजोन्मुख बनाये रखने में उल्लेखनीय योगदान देता है, क्योंकि यही वह विधा है जिसकी वजह से वस्तुतः राजनीतिज्ञों को यह सदैव ज्ञात रहता है कि तात्त्विक स्तर पर अन्ततः संप्रभुता जनता में निवास करती है। चुनाव को लोकतांत्रिक एवं सर्वाधिकारवादी दोनों व्यवस्थाओं में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया की कोटि में रखा जाता है।

चुनाव के महत्त्व से प्रासंगिक संदर्भों व तथ्यों को निम्नांकित आधार पर रेखांकित किया जा सकता है :

1. **चुनाव द्वारा सरकार की वैधता का नवीनीकरण हो जाता है**–द्विदलीय, बहुदलीय या एकदलीय व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल या दलों द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र ;म्समबजपवद डंदपमिेजवद्ध में तरह–तरह की लोक घोषणाएं व

जनलुभावन वायदों का खुलासा किया जाता है और चुनाव परिणाम के उपरान्त सत्तारूढ़ होने पर उन घोषणाओं–वादों को कार्यान्वित करके जनता का विश्वास अर्जित किया जाता है। इसलिए, सभी राजनीतिक दल समस्त चुनावी प्रक्रिया को बहुत गंभीरता से लेते हैं। चुनाव का मूल उद्देश्य राजनीतिक सत्ता यानी कि सरकार का वैधीकरण करना है। चुनाव द्वारा सरकार को औचित्यपूणता प्राप्त होती और वह औचित्यपूर्ण शक्तियों के प्रयोग का वैधिक अधिकारी बन जाता है। इस प्रकार, चुनाव का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य व्यवस्था एवं सत्ता का वैधीकरण करना तथा नियतकालिक चुनावों के माध्यम से एक निर्धारित कालावधि के लिए सरकार की वैधता का नवीनीकरण करते रहना है।

2. **चुनाव द्वारा जनता अपने शासकों का चयन करती है**–चुनाव प्रक्रिया ही जनप्रतिनिधियों के प्रत्यक्ष चयन का एक मात्र उपकरण है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा संसद् एवं विधानसभाओं का गठन होता है। इसके माध्यम से सरकार का अस्तित्व आकार लेता है। व्यवस्था का कोई भी पक्ष सरकार के नियंत्रण से बाहर नहीं होता है और सरकार के चयनका यानी कि किसी एक दल के प्रति अपना राजनीतिक विश्वास प्रकट करने और उसे औचित्यपूर्ण शक्तियों के प्रयोग का स्वामी बनाने का अधिकार सिर्फ जनता का होता है। इस महान् राजनीतिक कर्त्तव्य एवं दायित्व का निर्वहनजनता चुनाव के माध्यम से पूरा करती हैं ।अत: जनसाधारण के इस महान् राजनीतिक अधिकार व दायित्व के निर्वहन अवं सरकार के अस्तित्व–निर्माण की दृष्टि से समस्त चुनावी प्रक्रियाओं कालोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए सर्वाधिक महत्त्व है।
3. **चुनाव द्वारा जनता राजनीतिक अभिजनों विशेष रूप से शासक अभिजनों पर नियंत्रण रखती है**–वस्तुतः, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में चुनाव ही वह प्रक्रिया हैं जो शासक अभिजनों यानी कि सरकार और सांसदों तथा विधायकों को निर्वाचन के उपरान्त भी पूरे कार्यकाल ;ज्मदनतमद्ध में जनता के प्रति उत्तरदायी बनाये रखती है। जहां सरकार पूरी व्यवस्था के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के जीवन की बुनियादी जरूरतें एवं उत्तम जीवन के साधनों को ज्यादा–से–ज्यादा उपलब्ध कराने के लिए जवाबदेह होती है, वहीं सांसदों एवं विधायकों पर विशेष रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के सर्वांगीण विकास तथा क्षेत्र के बहुआयामी विकास कराने की जिम्मेदारी होती है। सभी दलों के प्रत्याशी चुनाव के दौरान बड़ी–बड़ी घोषणाएं व वायदे करते हैं। चुनावी घोषणा पत्र और दल की स्थिति में विश्वास व्यक्त करते हुए उम्मीदवारों के व्यक्तित्व के पभाव में मतदाता अपने बहुमूल्य मत द्वारा प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। इन्हीं प्रतिनिधियों में से कुछ सरकार में शामिल होकर शासन–संचालन का दायित्व निभाते हैं। यदि सरकार या जनप्रतिनिधि जनआकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं और समाज की जरूरतों को पूरा करने में पिछड़ जाते हैं तो जनता संसद या विधानसभा के अगले चुनाव में उन्हें पराजित कर दूसरे उम्मीदवार को विजयी बनाती है। इसके साथ ही सरकार के पूरे कार्यकाल में जनता धरना, रैली, प्रदर्शन, हड़ताल, बन्द, आन्दोलन आदि कई प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों द्वारा सरकार को नियंत्रित करती है। यदि सरकार के प्रति व्यवस्था में जनअसंतोष ज्यादा गहरा हो जाता है या कभी–कभी गंभीर जनआन्दोलन से दंगा–फसाद, क्रान्ति आदि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब सत्ता परिसंचरण का माहौल बनता है। इन समस्त परिस्थितियों से बचने के लिए सरकार ज्यादा–स–ज्यादा व्यक्ति सापेक्ष एवं समाज सापेक्ष दृष्टिकोण रखते हुए जनउम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयास में लगी रहती है ताकि उसे जनविरोध या जनविद्रोह की स्थिति का सामना न करना पड़े और साथ ही आने वाले चुनाव में सत्ता गंवाने की नौवत न आ जाये।
4. **चुनाव सत्ता को जनतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने में आधार–माध्यम की भूमिका निभाता है–अब्राहम लिंकन** की अभिव्यक्ति के अनुसार, ''लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, और जनता के लिए शासन है'' और चुनाव प्रक्रिया द्वारा प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष निर्वाचन लिंकन की इस अभिव्यक्ति को पूरी तरह साकार करता है। इस दृष्टि से चुनाव को राजनीतिक सत्ता के लोकतंत्रीकरण के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखा जाता है। **लासवेल और काप्लान** ने सत्ता को औपचारिक शक्ति की संज्ञा दी है और यूनेस्को रिपोर्ट में सत्ता को वह शक्ति बताया गया है जो जनस्वीकृत, ज्ञात, सम्मानित और औचित्यपूर्ण हो। राजनीतिक सत्ता की पहचान से संबंधित समस्त आयामों को जनतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने की विधि लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया द्वारा पूरी की जाती है, यानी कि लोकतंत्र में चुनाव द्वारा ही राजनीतिक सत्ता उस औचित्यपूर्णता की स्थिति को प्राप्त करता है जिससे वह जनप्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधिक सत्ता का स्वरूप प्राप्त कर पाने में सफल होता है और जनविश्वास व जनसमर्थन हासिल करके औचित्यपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर जनता पर शासन करने की स्थिति प्राप्त करता है।
5. **चुनाव द्वारा सत्ता परिसंचरण प्रक्रिया स्वाभाविक गति से चलती रहती है**–राजनीतिक अभिजन वर्ग में परिवर्तन या परिसंचरण प्रक्रिया का मूल वैधानिक माध्यम नियतकालिक चुनाव ही है। चुनाव प्रक्रिया द्वारा राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच सत्ता की अदला–बदली वैधानिक आधार पर होती रहती है। चुनाव इस तथ्य का द्योतक है कि यदि

सरकार जनता को उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है तो उसे विधिसम्मत् आधार पर जनता द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से सत्ताच्युत करके नई सरकार को शासन–संचालन की वैधता प्रदान की जा सकती है, यानी कि चुनाव शासक अभिजनों को यह याद रखने के लिए बाध्य करता है कि उनकी औचित्यपूर्ण स्थिति स्थायी नहीं है, अपितु परिवर्तनशील है। **पैरेटो, मोस्का** आदि विद्वानों का मानना है कि परिसंचरण प्रक्रिया द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सत्ता का हस्तांतरण होता रहता है, इस वजह से लोकतंत्र में सत्ता को निरंकुश या शिथिल होने का अवसर नहीं मिल पाता है। राजनीतिक सत्ता को समाज के प्रति जवाबदेही का कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करना पड़ता है नहीं तो व्यवस्था में मौजूद दूसरे राजनीतिक दल के लिए सत्तारूढ़ होने का मार्ग आसान हो जाता है। सत्तारूढ़ शासक अभिजनों के परिसंचरण की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए **पैरेटो** ने यह विचार व्यक्त किया है कि अभिजन वर्ग में परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाना व्यवस्था में किसी भी प्रकार की क्रान्ति के आविर्भाव से बचाव के लिए अति आवश्यक है। इनके शब्दों में, क्रान्ति की स्थिति तब पैदा होती है जब राजनीतिक अभिजनों की स्थिति में परिवतन की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। इस प्रकार चुनाव सत्ता परिसंचरण का वैधिक माध्यम है जिसकी वजह से सत्तारूढ़ अभिजनों की गतिविधियां एवं सोच ज्यादा–से–ज्यादा समाजोन्मुख व जनउत्तरदायी बनी रहती हैं।

6. **चुनाव व्यवस्था में हिंसक क्रान्ति की स्थिति नहीं आने देता है**–चुनाव की वजह से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी करके जनता बड़े पैमाने पर बिना किसी भेदभाव या दबाव के वयस्क मताधिकार के प्रयोग द्वारा सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनती है। निर्वाचन प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्त्व इसलिए है कि यह जनसाधारण को सदैव स्मरण कराती है कि वह लोकतंत्र में सरकार के गठनकी आधारशिला हैं, और लोकतंत्र में जनता ही सर्वप्रभुत्वशाली है। चुनाव का प्रधान उद्देश्य व्यवस्थापिका के सदस्यों को जनता द्वारा निर्वाचित कराना है। इस प्रक्रिया में सहभागी बनकर जनता राजनीतिक रूप से शिक्षित होती है ए उसके राजनीतिक चेतना के स्तर में संवृद्धि होती है, शासकों के क्रियाकलापों के प्रति संज्ञान लेने की रुचि में इज़ाफा होता है और व्यवस्थागत राजनीति के प्रति उसका रुझान बढ़ता है। चुनाव प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दल अपनी भावी नीतियों–कार्यक्रमों व योजनाओं को जनता के समक्ष रखते हैं और जनता जिस दल की भावी नीतियों व कार्यक्रमों से प्रभावित होती है उसे ही विजयी बनाती है। इस अर्थ में चुनाव जनता और सरकार के बीच एक सार्थक आधार–माध्यम है और व्यवस्था में नयी सरकार के गठन का एक मात्र साधन भी है। यानी कि लोकतंत्र में मताधिकार का अधिकार एक कर्तव्यबोधक राजनीतिक अधिकार है, जिसके बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग पर राष्ट्र का कल्याण एवं विकास आश्रित होता है। नियतकालिक चुनावों की वजह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक सत्ता के विरुद्ध कभी गंभीर जनआन्दोलन या हिंसक क्रान्ति की स्थिति उत्पन्न नहीं होती हैए अपितु सरकार यदि जनविरोधी हो और सामाजिक हितवर्द्धन के बजाय स्वहितवर्द्धन में लग जाये तो बिना किसी भारी उथल–पुथल के चुनाव में व्यापक मताधिकार का प्रयोग करके जनता द्वारा उसे सत्ताच्युत किया जाता है और समाजहित में नयी सत्ता का गठन किया जाता है।

7. **चुनाव जनता के राजनीतिकरण का साधन है**–यहां राजनीतिकरण का अभिप्राय व्यवस्थागत राजनीतिक विकास से भी है। चुनाव प्रक्रिया के संचालन संदर्भ में सरकार द्वारा किये गये कार्यों का मापन भी किया जाता है। सभी व्यवस्थाओं में चुनाव के समय राजनीतिकरण की प्रक्रिया अतितीव्र हो जाती है। जनसाधारण का राजनीतिक दल एवं सरकार के प्रति निष्ठा की अभिव्यक्ति का आधार भी चुनाव है। इस दृष्टि से, चुनाव लोकनिष्ठा का प्रतीक है और लोकतंत्र के मजबूत अस्तित्व–निर्माण में चुनाव की भूमिका अतिमहत्त्वपूर्ण होती है। चुनाव के समय जागरूक मतदाता अतिसक्रिय हो जाते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा जनचेतना जागृत करने के लिए जनसंपर्क के साधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। चुनावी प्रचार के दौरान आम जनता उन समस्त प्रासंगिक मुद्दों की जानकारी प्राप्त कर लेती है जिससे वह बेख़बर रहती है। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी दलों द्वारा सभी जनसरोकारगत मुद्दों, समस्याओं को उछाला जाता है जिससे आमजनों के राजनीतिक ज्ञान में काफी बढ़ोत्तरी होती है। **एडवर्ड शिल्स** ने राजनीतिक लोकतंत्र को ही 'राजनीतिक विकास' की संज्ञा दी है। इनके शब्दों में, ''विकसित राजनीतिक व्यवस्था वह है जिसमें एक से अधिक राजनीतिक दल हैं और वे राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए खुलकर प्रतियोगिता कर सकते हैं।'' **एडवर्ड शिल्स** द्वारा कथित यह प्रतियोगिता सिर्फ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से पूरी की जा सकती है। इस प्रकार, चुनाव जनराजनीतिकरण का बुनियादी साधन है।

मतदान व्यवहार का अर्थ(Meaning of Voting Behaviour)

चुनाव एवं निर्वाचन प्रक्रिया से सीधा सरोकार रखने वाला सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक आयाम मतदान व्यवहार है। राजनीतिक सहभागिता के परिप्रेक्ष्य में मतदान व्यवहार प्रत्यक्ष राजनीतिक क्रिया है जो व्यवस्था के अनेकानेक तत्त्वों, परिवर्त्यों

व कारकों द्वारा प्रभावित होता है। यह एक अतिसंवेदनशील, भावप्रधान राजनीतिक क्रिया है जिसका निष्पादन राजनीतिक समाज के सदस्यों द्वारा चुनाव के मद्देनजर लोकप्रिय सरकार के गठन के लिए किया जाता है।

डोनाल्ड ई. स्टोक्स के शब्दों में, ''मतदान व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को सामूहिक निर्णयों में समाहरण (Collection)करने का एक साधन है।'' मतदान व्यवहार से तात्पर्य मतदाताओं द्वारा मतदान करने तथा मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन से है।**शुम्पीटर** का कहना है कि 'लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का बोधक है जिसमें नागरिकों को नियतकालिक चुनावों के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी समूहों एवं दलों के बीच से अपने शासकों को चुनने का अधिकार प्राप्त होता है।' जिस विधि से जनता अपने इस सार्वभौम अधिकार का प्रयोग करती है उस माध्यम को मतदान कहा जाता है और मतदान प्रक्रिया को मतदान व्यवहार का नाम दिया जाता है। आधुनिक राजनीतिशास्त्रवेत्ता एवं राजनीतिक समाजशास्त्रवेत्ता इस प्रसंग को गहन अध्ययन–विश्लेषण व अनुसंधान का विषय मानते हैं क्योंकि नागरिक मतदान क्रिया द्वारा किसी ख़ास समूह या दल विशेष के उम्मीदवार को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं। इनके द्वारा मतदान व्यवहार के विश्लेषणक्रम में संबद्ध परिवर्त्यों को अध्ययन की दृष्टि से अधीनस्थ परिवर्त्य(Dependent Variable)की कोटि में रखा गया है। सभी व्यवस्थाओं में मतदान व्यवहार वहां के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक राजनीतिक पर्यावरण, मुद्दों तथा विभिन्न समूहों, संस्थाओं, संगठनों की संरचनाओं, प्रकृति एवं कार्यशैली द्वारा प्रभावित, निर्धारित एवं नियमित होता है। इन कारकों को स्वाधीन परिवतर्य (Independent Variable)की कोटि में रखा गया है। मतदान व्यवहार उन समाजीय–मनौवैज्ञानिक कारकों से भी प्रभावित होता है जो मनोवैज्ञानिकों के मनोविश्लेषण के विषय हैं। मनोवैज्ञानिक इसे मध्यवर्ती परिवर्त्य (Intervening Variable)की कोटि में रखते हैं।

उपर्युक्त विवेचित तीन प्रकार के परिवर्त्यों क आलोक में विश्लेषणकर्ता मतदान व्यवहार पर शोध एवं अध्ययन–विश्लेषण करते हैं। अधीनस्थ परिवर्त्यों की कोटि में मतदान के दौरान नागरिकों द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के पक्ष में अभिव्यक्त की गयी अभिरुचियां, वरीयताएं (Preferences)भूमिकाएं तथा गतिविधियों को शामिल किया गया है। मतदान व्यवहार के अध्ययन–विश्लेषण की दृष्टि से स्वाधीन परिवर्त्यों की कोटि में सामाजिक संरचनात्मक तत्त्वों, मसलन–धर्म, वर्ग, क्षेत्रीयता, नृजातीयता, शिक्षा, उम्र, लिंगविभेद सामाजिक वर्ग पूरक समूह, आदि को सम्मिलित किया गया है। मध्यवर्ती परिवर्त्यों की कोटि में दलीय प्रत्याशियों के प्रति अभिविन्यास, व्यवस्थागत मुद्दों के प्रति अभिविन्यास, राजनीतिक विचारधारा के प्रति अभिविन्यास तथा दलीय तादात्म्यता इत्यादि को सम्मिलित किया गया है।

मतदान व्यवहार पर अधीनस्थ परिवर्त्यों का प्रभाव (Effect of Dependent Variables on Voting Behaviour)

बॉन एवं रैनी ;ठवदम ंदक त्ंददमलद्ध ने अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में अधीनस्थ परिवर्त्यों का विश्लेषण करने के क्रम में मुख्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के प्रति अमेरिकी नागरिकों के रुझान एवं वरीयताओं की मात्रा की गति के अनुरूप उसे मजबूत, कमजोर तथा स्वतंत्र संवर्गों में विभाजित करते हुए गतिविधियों के आधार पर नागरिकों को भी छः कोटियों में बांटा है : (1) राजनीतिक दल या अन्य संगठनों का कार्य करने वाले नागरिक, (2) संगठन को चंदा या किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले नागरिक, (3) संगठन के लिए जनमत निर्माण करने वाले नागरिक, (4) मतदाता के रूप में नागरिक, (5) मतदान नहीं करने वाले नागरिक तथा (6) राजनीति के प्रति रुझान नहीं रखने वाले नागरिक।

रॉबर्ट लेन ;Robert Lane) का यह कहना है कि ''संगठन के लिए कार्य करने वाले लोगों के बीच से ही राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों के नेताओं का जन्म होता है तथा सम्पूर्ण जनसंख्या के लगभग एक प्रतिशत लोग ही इन सक्रिम राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं।'' इनका मानना है कि इन्हीं सक्रिय राजनीतिक कर्ताओं के बीच से दलों या समूहों का शीर्षस्थ नेतृत्व यानी कि बीज कोश अभिजन ;ब्वतम म्सपजमद्ध का आविर्भाव होता है।

उपरोक्त रेखाचित्र के आधार पर दूसरी कोटि के अन्तर्गत आने वाले नागरिक कभी–कभी अपनी अभिरुचि के अनुरूप पसंदीदा दल या समूह के लिए प्रदर्शन करने, चुनाव प्रचार में भाग लेने या किसी प्रकार की वित्तीय सहायता व चंदा आदि देने का कार्य करते हैं। अमेरिका में कुल आबादी के पाँच से छः प्रतिशत नागरिक ऐसी राजनीतिक भूमिकाओं में संलग्न होते हैं।

तीसरी कोटि उन नागरिकों व नेताओं को अपने दायरे में शामिल करता है जो जनमत–निर्माण कार्य में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस कोटि में ऐसे सचेत नेताओं–नागरिकों को शामिल किया गया है जो राजनीतिक गतिविधियों, मुद्दों व समस्याओं के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित कराते हैं, चुनाव प्रचार को आकर्षणीय ;।जजतंबजंइसमद्ध बनाते हैं, मतदाताओं के समक्ष व्यवस्थागत मुद्दों को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करके दलीय या गुटों के प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए स्वस्थ जनमत–निर्माण के कार्य को अंजाम देते हैं। साथ–हीएउन लोगों को भी शामिल करने की बात की गयी है जो राजनीतिक भूमिकाओं, मुद्दों के संबंध में निरन्तर अपनी बेबाक राय जाहिर करते रहते हैं। ऐसा करके ये नागरिक अन्य लोगों को चेतन या

अचेतन रूप में राजनीतिक क्रियाओं एवं मुद्दों के प्रति जागरूक बनाने में अहम् भूमिका निभाते हैं। ऐसी भूमिकाओं का निष्पादन करने वाले क्रियाशील ;बजपअपेजद्ध नागरिक कहे जाते हैं जिनकी संख्या अमेरिका में कुल आबादी का 25 प्रतिशत है।

चौथी कोटि के अन्तर्गत सामान्य मतदाताओं को शुमार किया गया है जो राजनीतिक प्रभाव, उम्मीदवारों के व्यक्तित्व व चुनावी मुद्दों के प्रति आकर्षण या अपने सचेतन व्यक्तित्व व आदत की वजह से मतदान करते हैं। शोध के आधार पर बॉन एवं रैनी का मानना है कि अमेरिका में ऐसे मतदाताओं की संख्या कुल आबादी का 25 से 30 प्रतिशत है।

पाँचवीं कोटि में मतदान कार्य में हिस्सेदारी नहों करने वाले लोगों को शामिल किया गया जो राजनीतिक उदासीनता के शिकार हैं।संभव है कि ऐसे लोगों में राजनीति के प्रति पूरी तरह विकर्षण या अलगाव ;ंसपमदंजपवदद्ध का भाव न हो, लेकिन राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों के प्रति राजनीतिक विश्वास में कमी की वजह स इस कोटि के अन्तर्गत आने वाले नागरिक मतदान कार्य के प्रति उदासीनता से ग्रसित होते हैं। अमेरिका की कुल आबादी में ऐसे निष्क्रिय ;पदंबजपअमद्ध लोगों की संख्या 30 से 40 प्रतिशत है।

छठी कोटि में व्यवस्थागत राजनीति के प्रति अरुचि रखने वाले नागरिकों को शामिल किया गया है। इनमें सक्रिय राजनीति एवं चुनावी संदर्भों के प्रति रुझान का अभाव होता है, वे राजनीतिक क्रियाओं तथा मुद्दों से बेख़बर होते हैं। इस वर्ग में शामिल नागरिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के पेचीदेपन, उपयोगिता एवं आवश्यकता से अंजान होते हैं। अमेरिका की कुल आबादी में सिर्फ 3 से 7 प्रतिशत ही ऐसे नावाकिफ लोग शामिल हैं।

बॉन तथा रैनी द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विवरण–संदर्भ सिर्फ अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान मतदान व्यवहार के तात्त्विक अध्ययन से संबद्ध है। मतदान व्यवहार से संबंधित **बॉन एवं रैनी**द्वारा किया गया ये शोध अन्य व्यवस्थाओं में मतदाताओं की राजनीतिक गतिविधियों एवं मतदान क्रिया के दौरान मतदाताओं की अभिवृत्ति में पायी जाने वाली वरीयताओं के अध्ययन के लिए भी उपयोगी है। लगभग सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के सदस्यों को इनके द्वारा प्रस्तुत छः कोटियों के अन्तर्गत बाटकर उनकी राजनीतिक गतिविधि, मनोवृत्ति, मनोदशा आदि का अध्ययन–विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन शोध के क्रम में कुल आबादी के परिप्रेक्ष्य में विवेचित प्रतिशत की मात्रा में अन्तर का पाया जाना निश्चित है, क्योंकि विभिन्न कोटियों में सहभागी नागरिकों के प्रतिशत की मात्रा, वरीयताओं को निर्धारित करने वाले मूल्यों तथा राजनीति के प्रति अभिवृत्ति में होने वाले अभिविन्यासों की मात्रा एवं गति, संदर्भित व्यवस्था में मौजूद सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पर्यावरण के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। अतः अधीनस्थ परिवर्त्यों के परिप्रेक्ष्य में जहां तक निर्वाचन–प्रक्रिया एवं मतदान क्रिया से संबंधित व्यवस्था के सदस्यों की राजनीतिक भूमिकाओं का सवाल है, यह विभिन्न देशों की मौजूदा व्यवस्थागत परिस्थितियों के प्रभाव में घटता–बढ़ता रहता है। उदाहरणार्थ, विकसित व्यवस्थाओं की अपेक्षाकृत विकासशील व्यवस्थाओं में विवेचित इन छः कोटियों के अन्तर्गत आने वाले नागरिकों की संख्या में बड़े अन्तर का पाया जाना लाजिमी है। विकासशील देशों में पहली, दूसरी और छठी कोटि के दायरे में शामिल लोगों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसलिए विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित व्यवस्थाओं में विचारधारात्मक ध्रुवीकरण ;पकमवसवहपबंस च्वसंतपेंजपवदद्ध की प्रवृत्ति ज्यादा पायी जाती है।

बॉन अवं रैनी द्वारा विवेचितउपरोक्त चित्रण केवल अमेरिकी व्यवस्था की अनुमानित स्थिति का द्योतक है। वस्तुतः, अमेरिका की द्विदलीय व्यवस्था और दोनों दलों के बीच तीव्र सैद्धान्तिक मतभेद मौजूद नहीं होने की वजह से मतदाता मजबूत, कमजोर या स्वतंत्र वरीयताओं के संवर्ग ;ब्कतमद्ध के अन्तर्गत अपनी पहचान का प्रदशन कर सकते हैं, लेकिन वरीयताओं की इस कोटि को ब्रिटेन जैसी द्विदलीय व्यवस्था में मतदाताओं के मतदान व्यवहार के अध्ययन के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं माना जा सकता है और फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्वीडन जैसी यूरोपीय व्यवस्थाओं के मतदाताओं के मतदान व्यवहार के अध्ययन के लिए तो यह प्रस्तुति पूरी तरह अनुपयोगी है। बहुदलीय व्यवस्था होने की वजह से इन व्यवस्थाओं के मतदाता किसी भी राजनीतिक दल के प्रति पूरा समर्थन या गंभीर विरोध प्रकट करते हैं। भारत, जापान आदि देशों के मतदाताओं के मतदान व्यवहार के अध्ययन की दृष्टि से भी यह प्रस्तुति अनुपयोगी है, क्योंकि यहां भी ध्रुवीकृत, बहुदलीय व्यवस्था ;च्वसंतप्रमकए च्सनतंसपेज ैलेजमउद्ध मौजूद है। इन व्यवस्थाओं में इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि यहां बहुदलीय व्यवस्था की वजह से कई राजनीतिक दलों का अस्तित्व मौजूद होता है। इनमें से अधिकांश दल सैद्धान्तिक आधार पर मतभेद की दुहाई देकर एक–दूसरे के खिलाफ ध्रुवीकृत होकर मजबूत विरोध का प्रदर्शन करते हैं तथा मतदाताओं को दिग्भ्रमित करते हैं। **सारटोरी** ने इसे ध्रुवीकृत बहुलवाद ;च्वसंतप्रमक च्सनतंसपेउद्ध की संज्ञा दी है। निष्कर्षतः बॉन एवं रैनी द्वारा प्रस्तुत शोध –संदर्भ व्यावहारिक स्तर पर सभी व्यवस्थाओं में संचालित मतदान क्रिया के तात्त्विक अध्ययन–विश्लेषण के लिए उपयोगी नहीं है।

मतदान व्यवहार पर स्वाधीन परिवर्त्यों का प्रभाव
(Effect of Independent Variables on Voting Behaviour)

मतदान व्यवहार के अध्ययन.परिप्रेक्ष्य में समाजीय, आर्थिक व सांस्कृतिक कारक को स्वतंत्र परिवर्त्यों की कोटि में रखा गया है। इन्हें मोटे तौर पर मतदान क्रिया के बहुआयामी अध्ययन के संदर्भ में सामाजिक वर्ग, विभिन्न सामाजिक समूहों तथा

सामाजिक संचार पद्धति के तहत देखा गया है। यहां वर्ग का अभिप्राय व्यवस्था में मौजूद सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था (Social Stratification System)से है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक–आर्थिक समूह शामिल हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों का तात्पर्य व्यवस्था में मौजूद धार्मिक एवं नृजातीय समूहों तथा लिंग भेद एवं आयु के आधार पर बंटे हुए विभिन्न समूहों से है। यहां अध्ययन की सुविधा के लिए वर्ग को समूह के साथ सम्मिलित करके इन कारकों का विवेचन कोटिबद्ध समूहों (Categoric Groups)पूरक समूहों (Secondary Groups)एवं प्राथमिक समूहों(Primary Groups)के अन्तर्गत किया जा रहा है।

1. **कोटिबद्ध समूह**–इसके अन्तर्गत आयु, शिक्षा व लिंग आदि तत्त्वों के आधार पर निर्मित समूहों को शामिल किया जाता है। मसलन–लिंग–आधारित समूह इस तथ्य का स्पष्टीकरण करते हैं कि पुरुषों एवं स्त्रियों के मतदान व्यवहार में अन्तर पाया जाता है। यह अन्तर मुख्यतः जिन पक्षों से प्रासंगिक है उनमें ;पद्ध स्त्रियां मर्दों की अपेक्षा ज्यादा रूढ़िवादी एवं परम्परावादी होती हैं। ;पपद्ध औरतों की राजनीतिक सक्रियता पर शिक्षा का भी प्रभाव होता है, इसीलिए अशिक्षित औरतों की अपेक्षाकृत शिक्षित औरतें राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय होती हैं, फिर भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की राजनीतिक सक्रियता काफी कम होती है। इसे भारतीय स्त्री मतदाता द्वारा प्रदर्शित मतदान व्यवहार के कमजोर पतिशत की मात्रा के आलोक में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। इस समूह की कोटि का दूसरा महत्वपूर्ण तत्त्व आयु–आधारित समूह है। विभिन्न देशों के मतदान व्यवहार पर किये गये सर्वेक्षणों से इस बात का खुलासा होता है कि मतदान क्रिया पर आयु की विभिन्नता का व्यापक प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक विद्वज्जनों द्वारा मतदाता के रूप में आयु की विभिन्नता से प्रासंगिक कुछ समूहों की पहचान की गयी है, जिनमें 21 वर्ष से 24 वर्ष तक आरंभिक आयु समूह तथा 25 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से ऊपर के आयु समूह को इंगित किया गया है।

उपर्युक्त इंगित आयु समूहों के परिप्रेक्ष्य में शोध के आधार पर यह कहा जाता है कि आयु बढ़ने से मनुष्यों की प्रवृत्ति में सहिष्णुता ;ज्वसमतंदबमद्ध की मात्रा बढ़ती है, साथ ही राजनीतिक क्रियाओं के निष्पादन में उनकी रुचि भी बढ़ती जाती है। राजनीतिक भूमिकाओं के निष्पादन के उत्तरोत्तर वृद्धि का क्रम 60 वर्ष की आयु तक यथावत् चलता रहता है, लेकिन 60 वर्ष के बाद आने वाली शारीरिक, मानसिक कमजोरी उसकी राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता को प्रभावित करती है। इसके साथ–साथ एक राजनीतिक व्यक्ति में प्रभावशालिता एवं क्रियाशीलता की मात्रा पर भी आयु की विभिन्नता का गंभीर प्रभाव पड़ता है। सामान्य तौर पर यह पाया जाता है कि आरंभिक आयु का मतदाता राजनीतिक भूमिकाओं के प्रति उदासीनता का भाव रखता है, लेकिन 30 वर्ष की आयु के उपरान्त उसकी राजनीतिक परिपवक्ता में वृद्धि होती है जो उसकी राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाता है अर्थात् करदाता के रूप में पारिवारिक दायित्वों का पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करने वाला परिपक्व व्यक्ति ही एक जागरूक व सक्रिय मतदाता की भूमिका निभा सकता है।

कोटिबद्ध समूहों के दायरे में तीसरा महत्त्वपूर्ण तत्त्व शिक्षा पर आधारित ह। शिक्षा समूहों के अन्तर्गत मोटे तौर पर नागरिकों को मैट्रिक से नीचे, मैट्रिक तक, स्नातक तक एवं स्नातकोत्तर तक प्राप्त शिक्षा के आधार पर समूहों में बाँटा गया है। यद्यपि मतदान व्यवहार के संबंध में शिक्षा के तत्त्वों से प्रासंगिक प्रभाव की मात्रा का सटीक आकलन करना काफी कठिन प्रयास है, तथापि शोधकार्य एवं सर्वेक्षणों के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों से यह तथ्य उभरता है कि मतदाताओं के शिक्षा स्तर में वृद्धि होने से उनकी अभिवृत्ति का रुझान परम्परागत या रुढ़िवादी दलों के समर्थन की ओर अग्रसर होता है। उदाहरणार्थ–भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी शिक्षित नागरिकों का ज्यादा रुझान जनसंघ जो आज की भारतीय जनता पार्टी है की ओर दिखाई पड़ती है।हालांकि, विद्वज्जनों का यह मानना है कि मतदान व्यवहार पर शिक्षा के प्रभाव का आकलन सामाजिक वर्ग, सामाजिक प्रस्थिति, धर्म, व्यवसाय आदि से प्रासंगिक तत्त्वों के आलोक में किया जाना चाहिए। तथ्यत: एशिक्षित नागरिकों का व्यक्तित्व राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक होता है। समाचारपत्र, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन आदि के जरिये प्राप्त सभी प्रकार की खबरों की वजह से शिक्षित मतदाताओं में राजनीतिक चेतना का व्यापक प्रसार होता है। शिक्षा उनकी राजनीतिक क्रियाशीलता व राजनीतिक ज्ञान को ऊर्जित करता है, राजनीतिक परिपवक्ता में वृद्धि करती है, और राजनीतिक समस्याओं तथा मुद्दों पर बेहतर निर्णय लेने के योग्य बनाती है। इन विशेषताओं के चलते एक शिक्षित मतदाता निश्चित रूप से मतदान व्यवहार का निष्पादन बुद्धिसंगत आधार पर करता है और योग्य उम्मीदवारों के चयन की दृष्टि से बेहतर मतदाता साबित होता है।

मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के स्तर में वृद्धि होने से जहां नागरिक अपनी पारिवारिक मान्यताओं एवं वरीयताओं को अपनाने के संबंध में उत्तम स्थिति को प्राप्त करते हैं तथा सामाजिक स्तरीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेष्ठ व प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करते हैं, वहीं अपने अर्जित व्यक्तित्व व राजनीतिक ज्ञान के बल पर दलों की सकारात्मक नीतियों व कार्यक्रमों के प्रति आकर्षित होते हैं और व्यवस्था के सामाजिक–राजनीतिक मूल्यों के आलोक में राजनीतिक दल तथा दलों के प्रत्याशियों का समर्थन या विरोध करके व्यवस्था में स्वस्थ राजनीतिक वातावरण एवं स्वस्थ जनमत का निर्माण करते हैं।

2. **पूरक समूह**–सामान्यतः, पूरक समूहों की कोटि के अन्तर्गत व्यवसाय और आय ;Occupation and Income) आधारित समूह, सामाजिक वर्ग, धार्मिक समूह, नृजातीय समूह आदि को शामिल किया जाता है। मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में इन पूरक समूहों की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण होती है। व्यवस्था के सदस्य अपने हितवर्द्धन एवं

विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन समूहों की सदस्यता ग्रहण करते हैं। इन समूहों का लक्ष्य चेतन या अचेतन रूप से सदस्यों के हितों के आधार पर मतदाताओं को संगठित कर उनकी राजनीतिक सोच और मतदान व्यवहार को प्रभावित करना है। इसका मूल उद्देश्य सरकार की नीतियों–निर्णयों व गतिविधियों को अपन हितवर्द्धन की दिशा में मोड़ना है तथा अपने हितों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना है ताकि व्यवस्था में उनकी स्थिति मजबूत हो सके। ये पूरक समूह अपने सदस्यों को राजनीतिक दलों, दबाव समूहों, की नीतियों–कार्यक्रमों की ओर अभिप्रेरित करते हैं। मतदान व्यवहार के संदर्भ में व्यवसाय एवं आय से संबंधित अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न व्यवसायों से संबद्ध नागरिकों में मतदान क्रिया से संबंधित दृष्टिकोण पहले से तय होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से संबद्ध लोग किसी विशेष दल के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने की परम्परा स्थापित कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, भारत में अधिकांश व्यापारी वर्गों द्वारा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की परम्परा स्थापित हो गयी है। अध्ययनकर्ताओं का यह भी मानना है कि ऊंची आय वाले व्यवसायों में नीची आय वालों के अपेक्षाकृत राजनीतिक सक्रियता की मात्रा अधिक पायी जाती हैं इसलिए मतदान व्यवहार का स्वरूप भी इनकी गतिविधियों के अनुरूप प्रभावित होता है।

पूरक समूहों की कोटि में शामिल सामाजिक वर्ग भी मतदान व्यवहार को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। मतदान व्यवहार पर सामाजिक वर्गों के व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए **लिप्सेट** कहते हैं कि ''राजनीतिक दलों का संघर्ष अन्य तत्त्वों की अपेक्षा व्यवस्था में विभिन्न वर्गों के संघर्ष का द्योतक है। राजनीतिक समर्थन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि आर्थिक रूप से विकसित सभी व्यवस्थाओं में अपेक्षाकृत कम आय वाले वर्गों के सदस्य वामपंथी विचारधारा वाले दल का समर्थन करते हैं, जबकि उच्च आय–प्राप्त समूहों ने सदैव दक्षिणपंथी विचारधारा वाले दलों का समर्थन किया है। **लिप्सेट** द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को वर्ग संघर्ष के लोकतांत्रिक व्यक्तिकरण की संज्ञा दी गयी है। इस प्रसंग म इनकी अभिव्यक्ति है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में मौजूद समूहों के संघर्ष का प्रकटीकरण राजनीतिक दलों के माध्यम से होता है। वस्तुतः, लिप्सेट द्वारा व्यक्त मान्यता में काफी हद तक सच्चाई है कि शारीरिक श्रम बेचने वाला वर्ग वामपंथी दल का समर्थक होता है और मानसिक श्रम करने वाला तथा अधिक आय अर्जित करने वाले समूहों का रुझान दक्षिणपंथी दलों की ओर होता है। तभी तो ब्रिटेन और अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी मतदान व्यवहार पर सामाजिक वर्ग का गंभीर प्रभाव पड़ता है। ब्रिटेन के संबंध म तो **पुलजर** ;**च्नसरमतद्ध** ने लिखा भी है कि ''ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की राजनीति का मूल आधार वर्ग है, तथा अन्य आधार मात्र अलंकरण विस्तार से संबंधित होते हैं।'' सन् 1952 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डाले गये मतों के आधार पर **हींज यूलाऊ** भी लगभग इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे।

वर्ग के आधार पर मतदान व्यवहार में पायी जाने वाली भिन्नता के संबंध में **लिप्सेट** का कहना है कि लोगों को अपनी सही सामाजिक स्थिति के संबंध में भ्रम इसकी मूल वजह है। लिप्सेट ने मतदान व्यवहार में विभिन्नता के संदर्भ में वगा की विभिन्नता के तीन मूल कारकों की पहचान की है : ;पद्ध आय की असुरक्षा, ;पपद्ध असंतोषपूर्ण कार्य की स्थिति, तथा ;पपपद्ध सामाजिक प्रतिष्ठा से संबंधित हीन या उच्च भावना।

इनका मानना है कि यूरोपीय देशों में भी निम्न यानी कि श्रमिक वर्ग से संबद्ध सदस्यों में अपनी आय के प्रति असुरक्षा की भावना बहुत जबर्दस्त होती है। असंतोषपूर्ण कार्य की स्थिति के संबंध में **लिप्सेट** का कहना है कि श्रमिक वर्ग या अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य में एकरसता और अधिकारियों एवं प्रबंधकों के रवैये में पायी जाने वाली स्वेच्छाचारिता की वजह से इस वर्ग में कार्य की स्थिति से असंतोष उत्पन्न होता है। ऐसे में, इन लोगों में सामाजिक परिवर्तनों से अभिप्रेरित आन्दोलनों का समर्थन करने की प्रवृत्ति ज्यादा दिखाई देती है, इसलिए ये वामपंथी दल के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। तीसरे कारक के रूप में सामाजिक पतिष्ठा के प्रति हीन या उच्च भावना के संबंध में लिप्सेट की अभिव्यक्ति है कि सामान्य रूप से श्रमिकों को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि सामाजिक उपेक्षा और आय के प्रतिशत में कमी की वजह से निम्न वर्ग में मध्यम तथा उच्च वर्ग के लोगों के पति गंभीर आक्रोश का भाव पाया जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी और निम्न आय की वजह से इस वर्ग के सदस्यों का स्पष्ट झुकाव वामपंथ की तरफ होता है।

पूरक समूहों की कोटि में शामिल धार्मिक एवं नृजातीय समूहों का मतदान व्यवहार पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। नृजातीय समूहों की कोटि में, प्रजातीय समूहों(Racial Groups),क्षेत्रीय समूहों ;Regional Groups), राष्ट्रीयता पर आधारित समूहों ;National Groups)तथा प्रवासियों के समूहों(Immigrant Groups)को शामिल किया जा सकता है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत आदि संघीय देशों में मतदान व्यवहार पर नृजातीय समूहों का व्यापक असर दिखाई पड़ता है। ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों में भी इन समूहों का अस्तित्व विद्यमान है। सभी व्यवस्थाओं में इन समूहों द्वारा अपने सदस्यों के हितों के प्रति तादात्म्यता की भावना पायी जाती है तथा ये अपने सदस्यों के सामाजिक आर्थिक हितवर्द्धन व संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं; इसलिए इन नृजातीय समूहों के बीच काफी तीखी प्रतियोगिता की स्थिति मौजूद होती है। इन समूहों के जिन सदस्यों में अपने समूह के प्रति तादात्म्यता की भावना जितनी प्रबल होती है, वे अपने समूह द्वारा समर्थित राजनीतिक दल के उतने ही कट्टर समर्थक होते हैं।

विभिन्न शोधों एवं सर्वेक्षणों से इस तथ्य का खुलासा होता है कि सामान्यतः नृजातीय समूहों में मतदान व्यवहार के संबंध में परम्परागत रूप से विशिष्ट दल के प्रति रूझान की मनोवृत्ति देखी जाती है। नृजातीय समूहों में मतदान व्यवहार के प्रति प्रदर्शित अभिवृत्ति या किसी दल विशेष के लिए अभिरुचि या कट्टर समर्थन में सामाजिक प्रतिष्ठा एवं स्तरीकरण प्रस्थिति से संबद्ध कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उदाहरण के तौर, पर भारत के दक्षिण के प्रान्तों में दविड़ तथा उत्तर भारत में हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन व बौद्ध धर्म के धर्मिष्ठों के मध्य निरन्तर चलने वाली प्रतिद्वन्द्विता से सभी परिचित हैं। इसी भांति अमेरिका में श्वेत और आंग्लसेक्सन प्रोटेस्टेण्ट समूह रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करते हैं, जबकि निम्न सामाजिक स्तर वाले कैथोलिक यहूदी नीग्रो तथा अन्य निम्न स्तरीय समूह डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करते हैं। कनाडा में इंगलिश एवं फ्रेंच राष्ट्रीयताओं के बीच संघर्ष की स्थिति पायी जाती है तथा दक्षिणी अफ्रीका में इंगलिश तथा डच समुदाय के बीच पाया जाने वाला विरोध भो काफी महत्त्वपूर्ण है।

किसी भी व्यवस्था में मौजूद नृजातीय एवं धार्मिक समूहों में पायी जाने वाली दलीय वरीयताओं की मुख्य वजह अल्पसंख्यक नृजातीय एवं धार्मिक समूहों के विरुद्ध बहुसंख्यक नृजातीय एवं धार्मिक समूहों की मानसिकता, भेदभाव करने की नीति तथा अल्पसंख्यक समूहों में विद्यमान असुरक्षा की भावना है। ऐसे में यदि अल्पसंख्यक समूहों की सामाजिक प्रतिष्ठा कम हो तथा इनकी आय भी निम्न स्तर की हो तो बहुसंख्यक समूहों के प्रति ये अपने अन्दर तीव्र विरोध की भावना पालते हैं। इस प्रसंग के उदाहरणार्थ अमेरिका के मतदान व्यवहार मे नीग्रो, यहूदियों तथा कैथोलिकों की वरीयताओं को देखा जा सकता है। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि बहुसंख्यक समुदाय के धर्म के प्रति अल्पसंख्यक धर्मावलंबियों में विरोध, भय व असुरक्षा की मनोवृत्ति पायी जाती है और यह मनोदशा ही उन्हें अपनी मानसिकता के अनुरूप वरीयताओं के प्रदर्शन के लिए अभिप्रेरित व बाध्य करती है। भारत में भी अल्पसंख्यक धर्मावलंबी एवं बहुसंख्यकों के मध्य विरोध, असंतोष, असुरक्षा एवं भय की स्थिति को सर्वत्र देखा जा सकता है।

3. **प्राथमिक समूह**—मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले वर्गों की कोटि में तीसरा स्थान प्राथमिक समूहों का है। सामान्य रूप से सभी नागरिकों के मतदान व्यवहार पर सबसे ज्यादा सीधा प्रभाव प्राथमिक समूह ही डालते हैं। ये समूह व्यवस्था में परिवार, दोस्त एवं सहयोगियों से व्यक्ति के संबंधों के बोधक हैं। नृजातीय एवं धार्मिक समूहों के सदस्यों की अभिवृत्ति—निर्माण में भी प्राथमिक समूहों की भूमिका सबसे अहम् होती है। सामान्य रूप से प्राथमिक समूहों का नागरिकों के व्यक्तित्व पर प्रभाव कोटिबद्ध समूहों तथा पूरक समूहों से प्रेरित होता है, और उसी दिशा में होता है। लेकिन, जब तीनों समूहों द्वारा प्रदर्शित व निर्देशित प्रभावों में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाय तो एक नागरिक सबसे ज्यादा अपने प्राथमिक समूहों के प्रभाव में मतदान क्रिया को अंजाम देता है। मतदान व्यवहार पर प्राथमिक समूहों के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन यहां पति—पत्नी, माता—पिता संतान तथा दोस्त एवं सहभागियों से संबंधों का आधार प्रस्तुत किया जा रहा है।

पति—पत्नी समूह—पति—पत्नी के बीच राजनीतिक विचारों की समानता समाजीय—मनोवैज्ञानिक सत्य माना गया है, अतः मतदान क्रिया के निष्पादन में दोनों के बीच व्यवहार प्रदर्शन की समानता का पाया जाना आम बात है। **मेकोवो, मैथ्यूज तथा मार्टन** अपने शोधकार्य द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पति—पत्नी के संबंध में दोनों एक—दूसरे पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। **एंगस, कैम्पवैल** तथा अन्य शोधकर्ताओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 95 प्रतिशत पति—पत्नी के मतदान व्यवहार में समानता पायी जाती है। विशेष रूप से जब पत्नी राजनीति के प्रति उदासीन हो और पति राजनीति में सक्रिय हो तो मतदान के संबंध में पति द्वारा निर्धारित वरीयताओं का अनुसरण पत्नी स्वाभाविक रूप से करती है।

माता—पिता एवं संतान—आरंभिक आयु के मतदाताओं पर दलीय वरीयताओं के निर्धारण के संबंध में माता—पिता की राजनीतिक सोच व रुझान का गहरा प्रभाव पड़ता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि माता—पिता में संबंध सुखद हो और विचारों में साम्यता हो तो संतान पर उनकी सोच का प्रभाव ज्यादा गहरा होता है। लेकिन, यदि दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हों और संबंध अच्छे न हों तो संतान का विचार भी मतभेद से ग्रसित होता है, और यदि माता—पिता राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति उदासीन होते हैं तो संतान भी मतदान व्यवहार से संबंधित दलीय वरीयताओं का निर्धारण स्पष्ट रूप से नहीं कर पाती हैं।

दोस्त एवं सहयोगी—प्राथमिक समूहों की कोटि में शामिल दोस्त एवं सहयोगियों के विचारों का भी एक मतदाता के मतदान व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्त एवं सहयोगियों की समीपता व घनिष्ठता में एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बनता है, जिसमें एक नागरिक राजनीति के संबंध में अपनी पसंद—नापसंद पर खुलकर चर्चा करता है। इस प्रसंग में वह अपने अन्दर राजनीति से संबंधित कई नये तत्त्वों को समावेशित भी करता है और कई गूढ़ तत्त्वों से अपने दोस्तों सहयोगियों को भी परिचित कराता है। इस प्रक्रिया के दोरान या तो एक मतदाता अपने दोस्तों एवं सहयोगियों को अपनी राजनीतिक सोच, विश्वास तथा दलीय वरीयताओं को मनवाने में सफल होता है या अपने दोस्तों—सहयोगियों की राजनीतिक सोच एवं वरीयताओं से प्रभावित होकर उनका अनुसरण करता है और अपने मतदान व्यवहार को उनकी सोच के प्रभाव में अंजाम देता है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने के संबंध में दोस्त और सहयोगियों के व्यवहार से पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित तथ्य

का खुलासा अमेरिकी शोधकर्ताओं में पहले **बरनार्ड बेरेलसन** ;ठमतदंतक ठमतमसेवदद्ध तथा उसके सहयोगियों ने किया। अमेरिका में कैम्ब्रिज ;ब्उइतपकहमद्ध तथा एलमिरा ;म्सउपतंद्ध नामक जगहों पर दोस्त तथा सहयोगियों के प्रभाव पर किये गये शोधों व सर्वेक्षणों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मतदान व्यवहार पर उनके सान्निध्य का व्यापक प्रभाव पड़ता है।

उपर्युक्त विवेचित संदर्भ का सबसे अहम् सवाल यह है कि इनमें से कौन सा समूह मतदान व्यवहार को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है इस प्रसग में **मेकोवो, मैथ्यूज तथा मार्टन** द्वारा किये गये शोधकार्य से यह स्पष्ट होता है कि युवा मतदाताओं के मतदान व्यवहार पर सबसे ज्यादा प्रभाव अपनी पत्नी का होता ह, इसके पश्चात् दोस्तों.- सहयोगियों का।

मतदान व्यवहार पर मध्यवर्ती परिवर्त्यों का प्रभाव
(Effect of Intervening Variables on Voting Behaviour)

समाजीय–मनौवैज्ञानिक, कारकों को मतदान व्यवहार के अध्ययन–प्रसंग में मध्यवर्ती परिवर्त्यों की कोटि में शामिल किया जाता है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख परिवर्त्यों–अधीनस्थ एवं स्वतंत्र के विश्लेषण से इस तथ्य का स्पष्टीकरण होता है कि जहां अधीनस्थ परिवर्त्य मतदाताओं की गतिविधियां एवं दल तथा प्रत्याशियों के पक्ष में उनकी राजनीतिक वरीयताओं के द्योतक हैं, वहीं स्वाधीन परिवर्त्यों का संबंध राजनीतिक व्यवहार पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व धार्मिक तत्त्वों–कारकों के प्रभाव से प्रासंगिक है। लेकिन, नागरिकों द्वारा प्रदर्शित मतदान व्यवहार अनेकानेक पेचीदगियों से ग्रस्त होता है, जिसके जटिल पक्षों का तात्त्विक विश्लेषण सिर्फ अधीनस्थ एवं स्वाधीन परिवर्त्यों के आलोक में यथोचित रूप से करना संभव नहीं है। स्वाधीन परिवर्त्यों के आलोक में अध्ययन करके मतदाताओं द्वारा निरूपित मतदान व्यवहार में रुझान की प्रवृत्ति एवं प्रवाह (Trends and Tendencies)की जानकारी होती है, लेकिन इस विश्लेषण के माध्यम से मतदान व्यवहार से संबंधित विचलित व्यवहार (Restless, Fickle, Nervous, Demoralized, Deviated Behaviour)की यथातथ्य जानकारी नहीं हो पाती है। इन विचलित, अस्थिर व ढुलमुल व्यवहारों का निरूपण अचानक नहीं होता है, बल्कि इसके निर्माण के पीछे कुछ तर्कसंगत कारकों का अस्तित्व होता है। दृष्टान्तस्वरूप ब्रिटेन का श्रमिक वर्ग जब अनुदार दल को मतदान करता है और सम्पन्न वर्ग वामपंथी दल को मत प्रदान करता है तो ऐसे सवाल युक्तिसंगत हैं कि नागरिकों द्वारा निरूपित मतदान व्यवहार अपने संबद्ध वर्ग से प्रभावित होता है या नहीं और यदि होता है तो कितना ?

इस प्रसंग में अमेरिका के अध्ययनकर्ताओं का यह मानना है कि विकसित व्यवस्था होने की वजह से सामान्य लोगों का जीवन स्तर काफी उन्नत हो चुका है, इसलिए श्रमिक वर्ग के विचारों में काफी प्रगतिशीलता आ चुकी है और वैचारिक विरोध का लगभग अन्त हो चुका है। **मार्क्स** ने इसे वर्ग संबंधी मिथ्या चेतना कहा है तो समाजशास्त्रियों ने इसे सामाजिक स्थिति का भ्रम या स्थिति से अपतादात्म्यता का नाम दिया है। यहां विवेचित प्रसंग का मूल उद्देश्य उन कारकों की तलाश है जिसकी वजह से एक मतदाता मतदान करते समय अपने सामाजिक पर्यावरण से प्रभावित नहीं हो पाता है।

ऑस्टिन रैनी ने इससे संबंधित तीन कारकों की चर्चा की है : (1) दलीय तादात्म्यता(Party Identification), (2) प्रत्याशी के प्रति अभिविन्यास ;Orientation for Candidate),(3) मुद्दों के प्रति अभिमुखीकरण(Orientation for Issues)। इन कारकों के साथ कुछ अन्य तत्त्वों को भी समावेशित किया जा सकता है, मसलन–चुनाव के औचित्य से संबद्ध धारणा, चुनाव परिणामों के प्रभाव का पूर्वानुमान, राजनीतिक प्रभावशीलता की चेतना, नागरिक कर्त्तव्य का विवेक, जनलामबन्दी का प्रभाव इत्यादि। मध्यवर्ती परिवर्त्य व्यवस्था में समाजीय–मनोवैज्ञानिक कारकों–तत्त्वों के प्रभाव में होता है, जिसका मतदान व्यवहार के संदर्भ में स्वाधीन परिवर्त्यों की भांति विश्लेषण करना कठिन कार्य है, क्योंकि विश्लेषण–प्रसंग में यह अन्तस्थ ;प्दजमतअमदपदहद्ध तत्त्वों का द्योतक है।

ऑस्टिन रैनी द्वारा उल्लिखित कारकों को विस्तार से निम्नलिखित संदर्भों के तहत देखा जा सकता है :

1. **दलीय तादात्म्यता**–दलीय तादात्म्यता में स्वाधीन एवं मध्यवर्ती परिवर्त्यों का सयोग है। ये तत्त्व व्यवस्था में मौजूद सामाजिक वर्ग, धर्म आदि से प्रासंगिक तत्त्वों से प्रभावित होने के बावजूद अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रखते हैं। यहां दलीय तादात्म्यता का अभिप्राय नागरिकों का किसी दल के साथ मनौवैज्ञानिक संबंध से है। **कैम्पबेल** ने इसका अर्थ किसी राजनीतिक दल के साथ नागरिक की सामान्य आसक्ति (Attachment)बताया है। राजनीतिक दलों के नेता एवं चुनाव में दलों के प्रत्याशी नागरिकों के बीच दलीय तादात्म्यता का ज्यादा–से–ज्यादा विस्तार करने में लगे रहते हैं, क्योंकि इससे व्यवस्था में उनका जनाधार बढ़ता है और जनसमर्थन का दायरा विस्तारित होता है। इसीलिए, अमेरिका, ब्रिटेन आदि विकसित देशों में दलों के साथ तादात्म्यता रखने वाले नागरिकों की संख्या विकासशील देशों की अपेक्षा काफी व्यापक होती है, ऐसा अमेरिका में किये गये शोध के आंकड़ों से पता चलता है।भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका ताजा उदाहरण भाजापा द्वारा चलाया जाने वाला सदस्यता अभियान है जिसकी बदौलत भाजपा द्वारा सदस्यों की संख्या नौ करोड़ के ऊपर पहुंचने का एवं चीन की साम्यवादी दल को पीछे छोड़ कर विश्व की सबसे बड़ी सदस्यों वाली पार्टी होने दावा किया जा रहा है।

दलीय तादात्म्यता से प्रासंगिक कुछ वास्तविकताओं को रेखांकित किया गया है ,(i) दलीय तादात्म्यता संस्थापित होने के बाद संबंध में निरन्तरता स्थापित हो जाती है इसलिए यह संबंध समाज में वर्ग, धर्म आदि स्वाधीन परिवर्त्यों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। (ii)दलीय तादात्म्यता एक मनोवैज्ञानिक प्रसंग है, जिसे एक नागरिक अनुभव करता है और समय के साथ यह संबंध मजबूती की दिशा में अग्रसर होता रहता है। ;पपपद्ध दल के समर्थक के रूप में कोई भी नागरिक अपने समर्थित दल की नीतियों–कार्यक्रमों व मुद्दों से संबंधित सभी आयामों को पूरी तरह पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी वह अपनी अभिरुचि के दल के साथ अपनी तादात्म्यता बनाये रखता है, क्योंकि वह नीतियों–कार्यक्रमों से ज्यादा नेता के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। इसे नागरिकों का आत्मपरक मूल्यांकन(Subjective Orientation)कहा जाता है। इस प्रसंग में ब्रिटिश समाजशास्त्री **कोटग्रो**व (Cotgrove)का कहना है कि, ''यह सत्य है कि मतदाता किसी राजनीतिक दल का समर्थन उसकी नीतियों की अपेक्षा उसके व्यक्तिकरण या बिम्ब की वजह से करते हैं, दलों को उनकी नीतियों, मुद्दों के साथ समंजित करने में सहायक बनते हैं तथा विशेष मुद्दों पर असहमति रखने के बावजूद अपने दल को निरन्तर समर्थन देते रहते हैं।''

2. **प्रत्याशी के प्रति अभिविन्यास**–सामाजीय मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्त्वपूर्ण कारक प्रत्याशियों के प्रति अभिविन्यास है। यह कारक नागरिकों को प्रत्याशियों की विशेषताओं से प्रासंगिक तत्त्वों के प्रति आकर्षित होने से संदर्भित है। इसमें अपने नेता के संबंध में मतदाताओं की प्रवृतिए मान्यताएं, मूल्य, विश्वास व प्रतिबद्धता आदि का प्रसंग समावेशित है। नेता या प्रत्याशियों के प्रति मतदाताओं का अभिविन्यास दलीय कार्यक्रमों, नीतियों, मुद्दों से अलग उनके व्यक्तिगत गुणों के प्रभाव में होता है और इसी मानसिकता से प्रेरित होकर एक मतदाता अपने मतदान व्यवहार को अंजाम देता है। एक मतदाता का किसी प्रत्याशी या नेता के प्रति अभिविन्यास दो तत्त्वों पर आधारित होता है, **प्रथम**–प्रत्याशी के कारणात्मक गुणों (Instrumental Qualities) की वजह से, **द्वितीय**–प्रत्याशी के प्रतीकात्मक गुणों (Symbolic Qualities)की वजह से। अमेरिका में आइजनहावर, निक्सन, कैनेडी आदि का राष्ट्रपति के रूप में मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किये जाने के मूल में उनके व्यक्तित्व से संदर्भित कारणात्मक एवं प्रतीकात्मक दोनों गुणों का योगदान है।भारत में प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरूए श्रीमती गांधीए नरेंद्र मोदी आदि के सत्तासीन होने के मूल में ये कारक ही प्रभावी रहा है।

लेकिन, इस संबंध में ध्यान देने योग्य कुछ तथ्य इस प्रकार हैं : (i)मतदाता के मतदान व्यवहार पर प्रत्याशियों के प्रति अभिविन्यास का प्रभाव अप्रत्यक्ष की अपेक्षाकृत प्रत्यक्ष निर्वाचन पर अधिक होता है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के वैयक्तिक गुणों का प्रचार काफी बढ़ा–चढ़ा कर करते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की तादात्म्यता का प्रभाव उम्मीदवारों की अपेक्षा दलों के प्रति ज्यादा होती है। (ii)रैनी की ऐसी मान्यता है कि अध्यक्षात्मक शासन में प्रत्याशियों के प्रति अभिविन्यास का महत्त्व संसदीय शासन की अपेक्षा ज्यादा होता है। इनकी दृष्टि में चर्चिल, हेरॉल्ड विल्सन आदि को इस नियम का अपवाद माना जा सकता है। (iii) प्रत्याशी के प्रति अभिविन्यास का प्रभाव सामान्य रूप में निम्न पदों की अपेक्षा उच्च पदों पर ज्यादा दिखाई देता है, यानी कि, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति जैसे प्रभावशाली पदों पर प्रत्याशियों के व्यक्तित्व का आकर्षण मतदाताओं को ज्यादा प्रभावित एवं अभिप्रेरित करता है। (iv)स्थानीय सरकारों के चयन की अपेक्षा राष्ट्रीय सरकार के चुनाव के समय प्रत्याशियों के प्रति अभिविन्यास से संबंधित राजनीतिक व्यक्तित्व से आकर्षण का प्रसंग ज्यादा प्रभावी होता है और स्थानीय सरकार के चुनाव में यह परिवर्त्य अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण होता है। ;अद्ध विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों के मतदाताओं पर प्रत्याशियों के प्रति अभिविन्यास का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है।

हालांकि **आल्मंडए लुसियन पाई, सिडनी वर्बा** सरीखे विद्वानों ने अपने शोध सर्वेक्षणों तथा निष्कर्षों के आधार पर यह स्थापित कर दिया है कि विकासशील व्यवस्थाओं में भी एक सुसंगत–स्पष्ट राजनीतिक संस्कृति संस्थापित हो चुकी है और इन व्यवस्थाओं के मतदाताओं के व्यवहार–प्रदर्शन एवं राजनीतिक भूमिकाओं में सुस्पष्टता, निश्चितताएं अवैयक्तिकता का पुट समावेशित हो चुका है। मतदाता मतदान क्रिया को निष्पादित करते समय राजनीतिक दलों से संबद्ध समस्त परिवर्त्यों पर गहन दृष्टि रखता हैं और व्यवस्थागत मान्यताओं मूल्यों के आलोक में मतदान व्यवहार को अंजाम देते हैं। लेकिन, इन तमाम स्थितियों के बावजूद एशिया, अफ्रीका की विकासशील व्यवस्थाओं में विखंडित राजनीतिक संस्कृति और कई उपसंस्कृतियों की मौजूदगी की वजह से मतदान व्यवहार पर व्यक्तिपूजा, जातिवाद, धर्मवाद, वर्गवाद, प्रान्तवाद आदि तत्त्वों का गहन प्रभाव दिखाई देता है। इन प्रभावकारी तत्त्वों के प्रभाव में मतदाताओं के लिए प्रत्याशियों के व्यक्तित्व का आकर्षण अभी भी चुनाव का मुख्य केन्द्र होता है। यहां मतदाताओं पर प्रत्याशियों में मौजूद कारणात्मक गुणों की अपेक्षा प्रतीकात्मक गुणों का ज्यादा प्रभाव होता है।वस्तुत:ए विकासशील व्यवस्थाओं के मतदाता मतदान करते समय समाजीय–आर्थिक व मनोवैज्ञानिक तत्त्वों के प्रभाव में होते हैं, इसलिए इन व्यवस्थाओं में प्रत्याशियों के प्रति अभिविन्यास कारक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा सरोकार नागरिकों के मतदान व्यवहार से होता है।

3. **मुद्दों के प्रति अभिविन्यास**–नागरिकों के मतदान व्यवहार पर राजनीतिक दलों द्वारा उठाये गये मुद्दों, समस्याओं और उनके समाधान के लिए प्रस्तुत किये गये सुझावों, उपायों, नीतियों व कार्यक्रमों का भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इससे

मतदाताओं की मुद्दों के प्रति अभिविन्यास की संज्ञा दी गयी है। लेकिन सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि मतदान व्यवहार पर इसका प्रभाव बहुत गहन नहीं पड़ता है। **कैम्पबेल** तथा उनके सहयोगी अध्ययनकर्ताओं का यह मानना है कि मतदाताओं के मतदान व्यवहार पर किसी राजनीतिक–सामाजिक मुद्दे का गंभीर प्रभाव तभी पड़ता है जब उसमें कुछ विशेषताएं निहित होती है; जैसे :

(i) यदि राजनीतिक दलों, द्वारा उन मुद्दों की प्रस्तुति इतनी गंभीरता से की जाय कि वह मतदाताओं के मनमस्तिष्क को गहन रूप से प्रभावित कर सकें, यानी कि वो मुद्दा मतदाता के संज्ञानात्मक पक्ष को उर्जित कर सके।

(ii) राजनीतिक दलों द्वारा मुद्दों की प्रस्तुति में इतना तीखापन होना चाहिए कि मतदाता मतदान करते समय उन मुद्दों के गंभीर प्रभाव में हो।

(iii) राजनीतिक दलों द्वारा मुद्दों की प्रस्तुति इस रूप में होनी चाहिए कि वह नागरिकों की मान्यताओं, मूल्यों व दृष्टिकोणों को सीधे इस रूप में प्रभावित करेऔर मतदाताओं का आकर्षण अन्य दलों की नीतियों की अपेक्षा प्रस्तुतकर्ता दल की नीतियों के प्रति हो जाय। **कैम्पबेल** की ऐसी मान्यता है कि इन तीनों शर्तों पर खरा उतरकर ही कोई राजनीतिक मुद्दा नागरिकों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने का माद्दा रख सकता है।

मतदान संबंधी सर्वेक्षणों से यह ज्ञात होता है कि राजनीतिक मुद्दों के संबंध में ऊपर विवेचित विशेषताएं उन्हीं मतदाताओं को प्रभावित करती हैं जिनकी दलीय तादात्म्यता काफी मजबूत होती है। इससे इस तथ्य का खुलासा होता है कि राजनीतिक दलों की वैचारिकी (Ideology)जितनी स्पष्ट होगी, मतदाता उसी अनुपात म दल से तादात्म्यता को अनुभव करेगा और आनुभविक आधार पर दलीय राजनीतिक मुद्दों से प्रभावित होकर उसके अनुरूप मतदान व्यवहार का निरूपण करेगा। इस संदर्भ में ब्रिटेन और अमेरिका के मतदाताओं द्वारा निरूपित मतदान व्यवहार का अध्ययन करने से यह तथ्य उभरता है कि ब्रिटिश मतदाताओं में अमेरिकी मतदाताओं की अपेक्षा राजनीतिक मुद्दों के प्रति अभिविन्यास की चेतनीयता अधिक पायी जाती है तथा अन्य यूरोपीय देशों में ब्रिटेन के नागरिकों की अपेक्षा मुद्दों के प्रति सजगता की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि अमेरिका की अपेक्षा ब्रिटेन में ओर ब्रिटेन की तुलना में अन्य यूरोपीय देशों के राजनीतिक दलों में वैचारिक विभिन्नताएं काफी प्रखर होती हैं। हालांकि वर्तमान समय में अमेरिकी दलों के मध्य भी वैचारिक भिन्नता में वृद्धि हुई है, साथ ही वहां के मतदाताओं में वैचारिक भिन्नता के आधार पर दलों के प्रति आकर्षण काफी बढ़ा है, लेकिन फिर भी स्थिति ब्रिटेन या अन्य यूरोपीय देशों की भांति नहीं है। भारत एवं विकासशील देशों के मतदाता विकसित देशों की अपेक्षा राजनीतिक मुद्दों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं और उनके मतदान व्यवहार पर मुद्दों के प्रति अभिविन्यास का गहरा असर दिखाई देता है, लेकिन जातियों का राजनीतिकण एगरीबी, आर्थिक पिछड़ापन, जनसंपर्क के साधनों की अपर्याप्तता तथा अनेक उपसंस्कृतियों के अस्तित्व की मौजूदगी की वजह से मुद्दों के प्रति अभिविन्यास का रूप स्पष्ट नहीं हो पाता है।निष्कर्षत: एयह कहा जा सकता है कि मतदान व्यवहार से संबंधित उपरोक्त तीनों मध्यवर्ती परिवर्त्यों का प्रभाव मतदाताओं के व्यवहार पर पड़ता है, लेकिन इसकी मात्रा की तीव्रता व्यवस्थागत परिस्थिति और पर्यावरण के अनुरूप घटती–बढ़ती रहती है।

मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले अन्य कारक
(Other Factors Effected the Voting Behaviour)

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य तत्त्व भी हैं जो मतदान को प्रभावित करते हैं। ये तत्त्व निम्नलिखित हैं :

1. **राजनीतिक प्रभावशालिता की भावना एवं मतदान व्यवहार**–राजनीतिक प्रभावशालिता सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाओं का मर्मतत्त्व है। समाजीय मनोवैज्ञानिक कारक के रूप में इस केन्द्रीय तत्त्व का मतदान व्यवहार के प्रसंग में स्वतंत्र महत्त्व है। इस कारक के निर्माण में कई तत्त्वों का योग समावेशित होता है। इस कारक का संबंध प्रत्याशियों की प्रभावशालिता से होता है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में इस समाजीय–मनोवैज्ञानिक कारक की भूमिका काफी अहम् होती है। अमेरिका में 1956 के राष्ट्रपति चुनाव में किये गये शोध के आधार पर **कैम्पबेल** ने इस तथ्य का खुलासा किया है।

2. **नागरिक कर्त्तव्य की भावना एवं मतदान व्यवहार**–मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्त्वों में नागरिक कर्त्तव्य की भावना एक महत्त्वपूर्ण समाजीय–मनौवैज्ञानिक कारक है। जिन नागरिकों में कर्तव्यपरायणता की भावना जितनी ज्यादा होती है, वह मतदाता के रूप में अपने राजनीतिक व्यवहार के निर्वहन के प्रति उतना ही जवाबदेह होता है और एक जवाबदेह नागरिक होने की वजह से वह एक जागरूक मतदाता की भूमिका अदा करता है। नागरिक कर्त्तव्य की भावना मतदाताओं की राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि करता है और चुनाव के समय राजनीतिक सहभागिता के प्रतिशत में वृद्धि करता है। **कैम्पबेल** एवं उनके सहयोगी शोधकर्ताओं द्वारा 1956 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव पर किये गये शोध से इस तथ्य का खुलासा हआ कि जिन नागरिकों में राजनीतिक कर्त्तव्य की भावना तीव्र थी, उनके द्वारा बड़ी संख्या में मतदान क्रिया में भागीदारी की गयी।

3. **विचारधारा का प्रभाव एवं मतदान व्यवहार**—एक समाजीय—मनोवैज्ञानिक तत्त्व के रूप में मतदान व्यवहार पर विचारधारा का प्रभाव काफी महत्त्वपूर्ण कारक है। एक स्वतंत्र समाजीय—मनोवैज्ञानिक परिवर्त्य के रूप में राजनीति पर विचारधारा का प्रभाव काफी गहरा होता है। विचारधारा का प्रभाव विकसित एवं विकासशील देशों के नागरिकों पर समान रूप से पाया जाता है, इसलिए दोनों व्यवस्थाओं के मतदाताओं के मतदान व्यवहार पर विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मतदाताओं की दलीय तादात्म्यता पर भी विचारधारा का काफी प्रभाव होता है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक राजनीति की रूपरेखा के निर्धारण के प्रसंग में विचारधारा का बहुत महत्त्व है।

4. **चुनाव प्रचार (Electionering)एवं मतदान व्यवहार**—मतदान व्यवहार से संबद्ध उपर्युक्त कारकों, तत्त्वों व परिवर्त्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण तत्त्व भी हैं जो मतदान व्यवहार के प्रसंग में वरीयता-निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस प्रसंग में चुनाव प्रचार का स्थान काफी महत्त्वपूर्ण है। यह सत्य है कि राजनीतिक गतिविधियों पर विरोधी दबावों में वृद्धि होने से राजनीतिक सहभगिता के प्रति मतदाताओं की रुचि में कमी होती है, लेकिन चुनाव प्रचार वह कारक है जो राजनीतिक दृष्टि से मतदाताओं में सक्रियता बढ़ाता है। मतदाताओं द्वारा वरीयता निर्धारण में चुनाव प्रचार की भूमिका काफी अहम् होती है। चुनाव प्रचार मतदाताओं की राजनीतिक गतिविधियों एवं मतदान व्यवहार को जिन संदर्भों में प्रभावित करता है, उनमें प्रमुख हैं :

(i) राजनीतिक दलों द्वारा संचालित चुनाव प्रचार अभियान से वोटरों में चुनाव के प्रति आकर्षण पैदा होता है। व्यापक स्तर पर चलाये जाने वाले चुनाव प्रचार अभियान नागरिकों में राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के प्रति, उनकी कार्यशैली के प्रति जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करता है। यह नागरिकों को राजनीतिक स्तर पर सक्रिय और जिज्ञासु बनाता है । यह कारक मतदा।न करने के लिए अभिप्रेरित करने का और मतदान प्रतिशत में बढ़ोत्तरी का द्योतक है।

(ii) राजनीतिक दलएवं प्रत्याशियों द्वारा चलाये जाने वाले चुनाव प्रचार का उद्देश्य अपने समर्थक मतदाताओं में राजनीतिक चेतना जगाना, समर्थकों का मनोबल बढ़ाना, तथा उनके राजनीतिक इरादों को मजबूत करना होता है। व्यवस्थित और सघन चुनाव प्रचार जहां एक ओर वोटरों की राजनीतिक उदासीनता को दूर करता है एवहीं चुनाव की प्रचारशैली मतदाताओं को लुभाती है और दूसरे दलों में जाने से रोकती है।

(iii) चुनाव प्रचार नागरिकों के अन्दर राजनीति के प्रति दृष्टिकोण को विकसित करके उन्हें मतदान कार्य के लिए राजनीतिक स्तर पर अभिप्रेरित करता है। चुनाव प्रचार के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को भी राजनीति में क्रियाशील बनाया जा सकता है जो आमतौर, पर राजनीतिक विषयों—मुद्दों के प्रति उदासीन हुआ करते हैं।वस्तुत:एबेहतर चुनाव प्रचार मतदाताओं में राजनीतिक ज्ञान में बढ़ोत्तरी करता एसाथ-हीए राजनीतिक चेतना का भी प्रसारकरता है।

(iv) चुनाव प्रचार के समय पूरी व्यवस्था का पर्यावरण राजनीतिमय हो जाता है। इस वजह से आम मतदाताओं में दलों के प्रत्याशियों के प्रति रुझान की स्पष्ट तस्वीर दिखाई देने लगती है। ऐसे में नागरिकों की क्रियाशील राजनीति के प्रति संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मूल्यांकनात्मक अभिविन्यास की क्षमता में बेतहाशा वृद्धि होती है।

निष्कर्षत:ए चुनाव प्रचार एक ऐसा समाजीय मनोवैज्ञानिक तत्त्व या कारक है जो मतदाताओं को राजनीति का प्रशिक्षण देने में सर्वप्रमुख भूमिका निभाता है। चुनाव प्रचार के समस्त आयाम, चुनाव संबंधी समस्त राजनीतिक गतिविधियां व्यवस्था में हमेशा नये सिरे से चुनावी जनमत का निर्माण करती हैं, जिसका परिणाम चुनाव समाप्ति के उपरान्त किसी दल के स्पष्ट जनादेश के रूप में सामने आता है। ये समस्त चुनावी राजनीतिक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हैं।

5. **मतदान व्यवहार पर जनसंपर्क के साधनों का प्रभाव**—जनसंपर्क के समस्त साधनों को स्वस्थ जनमत—निर्माण का सबसे प्रमुख माध्यम माना गया है। सामान्यत:ए लोकतंत्र में जनमत ही मतदान व्यवहार द्वारा जनादेश में परिवर्तित होता है। इसी वजह से सभी राजनीतिक दल अपने पक्ष में जनमत के निर्माण एवं जनमत को मोड़ने के लिए जी—तोड़ प्रयास करते रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जनमत ही सरकार-निर्माण का मर्मतत्त्व है। इस प्राणाधार तत्त्व के निर्माण में सबसे अहम् भूमिका जनसंपर्क के साधनों की होती है। इस तर्ज पर मतदान व्यवहार के निर्माण—निरूपण एवं प्रत्याशियों के वरीयता. —निर्धारण एवं चयन में जनसंपर्क के सभी साधन आधारतत्त्व एवं आधार—माध्यम की भूमिका अदा करते हैं। जनसंपर्क के प्रमुख साधनों में समाचारपत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, राजनीतिक साहित्य आदि मतदाताओं को वरीयताओं के चयन तथा राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा संचालित नीतियों एवं कार्यक्रमों के आधार पर पसंदगी—नापसंदगी के लिए आधारतत्त्व मुहैया कराते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जनसंपर्क के माध्यमों द्वारा किसी भी दल या प्रत्याशी की अच्छाइयों व कमजोरियों को नागरिकों के समक्ष उजागर किया जाता है। इससे किसी भी दल या प्रत्याशी के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण के निर्माण में मतदाताओं को काफी मदद मिलती है। जनसंपर्क के माध्यम द्वारा सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों का भी जोर—शोर से प्रचार—प्रसार किया जाता है

तथा सरकार की त्रुटियों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला जाता है । इससे मतदाताओं को सरकार के समर्थन या विरोध में गोलबन्द होने का अवसर मिलता है। जनसंपर्क के माध्यमों की सक्रियता की वजह से मतदाता किसी दल या प्रत्याशी के पक्ष में लामबंद होते हैं, सरकार को सत्ताच्युत या पुनः सत्तारूढ़ करते हैं तथा किसी भी सामाजिक–राजनीतिक मुद्दे पर व्यापक जनसमर्थन का प्रदर्शन करके सरकार को अपनी मांगों पर झुकने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जनसंपर्क के साधनों को शहरी एवं देहाती दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं में बड़े पैमाने पर राजनीतिक जागृति पैदा कराने का श्रेय दिया जाता है। भारत में शहरी मतदाताओं में राजनीतिक जागरूकता लाने में रेडियो से अधिक टेलीविजन तथा अखबार की भूमिका अहम् होती है जबकि देहाती क्षेत्रों में राजनीतिक जागृति का आविर्भाव कराने में रेडियो की भूमिका ज्यादा महत्त्वपूर्ण होती है।

सारांशतः, यह कहा जा सकता है कि रैनी द्वारा प्रस्तुत मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्त्वों में दलीय तादात्म्यता, प्रत्याशी के प्रति अभिविन्यास, मुद्दा के प्रति अभिविन्यास तथा राजनीतिक प्रभावशालिता की भावना, नागरिक कर्तव्य की भावना, विचारधारा का प्रभाव एवं चुनाव प्रचार की प्रक्रिया के समस्त आयामों के निर्माण, संचालन, नियमन व निरूपण आदि में जनसंपर्क के साधनों की कार्यशैली एवं भूमिका आधार माध्यम की हाती है। मतदान व्यवहार के निर्माण से संबद्ध समस्त आयामों के लिए आधारतत्त्व के रूप में राजनीति के सभी विषयों से संबंधित सामग्री को मतदाताओं के सामने परोसने का काम जनसंपर्क के साधनों का है और यही आधार सामग्री मतदान व्यवहार के निर्माण व निरूपण में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही वजह है कि सभी पार्टियों में सांगठनिक स्तर पर एक मीडिया सेल होता है। पार्टी अध्यक्ष द्वारा पार्टी के प्रबुद्ध सदस्यों को मीडिया सेल का प्रभारी बनाया जाता है। सभी पार्टियां यदा–कदा प्रेस कॉन्फ्रेन्स करती रहती हैं। दल अपने सभी कार्यक्रमों में मीडिया कर्मियों को महत्त्व देता है तथा सभी पर्टियाँ मीडिया को अपने पक्ष में करने का ज्यादा–से–ज्यादा प्रयास करती हैं। भारत की राजनीति में ऐसे महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त मौजूद हैं कि जब भी मीडिया किसी राजनीतिक शाख्सियत के विरुद्ध हुई है तो, मतदाताओं की मानसिकता भी सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध हो जाती है और सत्तारूढ़ पार्टी को अपनी सत्ता गँवानी पड़ती है। प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विरुद्ध बोफोर्स के मुद्दे पर बनाये गये माहौल की वजह से 1989 के चुनाव में कांग्रेस सरकार की पराजय तथा प्रधानमंत्री के रूप में वी.पी. सिंह की ताजपोशी हुई। 2014के चुनाव में मनमोहन सिंह की जगह केन्द्र में नरेंद्र मोदी का सत्तारूढ़ होना भी इस प्रसंग का महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।

निष्कर्ष;Conclusion)

मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में उपरोक्त संदर्भों के आलोक में यह कहा जा सकता है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था के नागरिकों के मतदान व्यवहार के निष्पादन में अधीनस्थ, स्वाधीन एवं मध्यवर्ती परिवर्त्यों की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही मतदान व्यवहार जैसे संवेदनशील विषय पर सामाजिक स्थिति तथा समाजीय–मनोवैज्ञानिक तत्त्वों का भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। उपर्युक्त विश्लेषणों से यह खुलासा होता है कि मतदान व्यवहार एक ऐसीसंवेगात्मक, संवेदी ;म्उवजपवदंस ̀मदेपजपअमद्ध परिवर्तनशील विशिष्ट राजनीतिक क्रिया का बोध कराता है, जिसका प्रयोग करते समय मतदाता सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा व्यक्तिगत मूल्यों, मान्यताओं, निष्ठाओं और विश्वासों को आधार बनाता है। मतदान व्यवहार एक ऐसी क्रिया है जो अनायास ही किसी भी घटना या प्रसंग के प्रभाव से प्रभावित होकर अपनी प्रकृति और प्रस्तुति में बदलाव कर लेती है। विद्वज्जनों का ऐसा मानना है कि एक परिवर्तनशील संवेगी राजनीतिक व्यवहार होने की वजह से मतदान व्यवहार का यथोचित बौद्धिक विश्लेषण करना कठिन है।

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि मतदान व्यवहार एक परिवर्तनशील लेकिन अर्थपूर्ण महती राजनीतिक क्रिया है जिसके निष्पादन के परिणामस्वरूप लोकतंत्र में नयी सरकार का गठन तथा सत्ता परिसंचरण होता है। व्यवस्था में मौजूद राजनीतिक संस्कृति तथा राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया इसकी प्रकृति एवं स्वरूप के निर्माण की आधारशिला हैं। चुनाव के दौरान इसका प्रस्तुतीकरण राजनीतिक सहभागिता के रूप में होता है जिसके परिणामस्वरूप जनप्रतिनिधियों का चयन होता है, नई विधायिका अस्तित्व में आती है और नयी सरकार के गठन का वैधानिक दायित्व पूरा होता है।